कामकाजी महिला

वर्ष 6 अंक 3 फरवरी, 1994 मूल्य : 2 रु०

कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ जारी रखो

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की 25-26 जनवरी '94 को विजयवाड़ा में बैठक हुई। बैठक में प्रसूति लाभ अधिनियम 1973 में संशोधन करने सम्बन्धी श्रम मंत्रालय के नये अभियान की कड़ी आलोचना की गई। इस संशोधन के फलस्वरूप महिलाओं की भारी संख्या विशेष रूप से उद्योगों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं को मिलने वाले प्रसूति लाभ में कटौतियों से प्रभावित होगी। लगभग सभी ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों और अन्य वाम गुटों ने इसे असामयिक कदम करार देते हुए, अस्वीकार कर दिया है। प्रसूति चिकित्सा लाभ में कटौती किये जाने के विरोध में पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग जिस पर महिलाओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व है, ने भी सरकार के इस अभियान का समर्थन किया है। कटौती के पक्ष में अनेक तर्क दिये जा रहे हैं। एक तर्क तो यह है कि मालिक कामकाजी महिलाओं को काम पर रखने से परहेज करते हैं क्योंकि उन्हें प्रसूति अवकाश देना पड़ता है और अपने ही खर्चे पर शिशु-पालन गृह की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि यह संशोधन पारित हो गया तो "महिलाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।" यह जानना वास्तव में ही आश्चर्यजनक है कि मालिक महिलाओं को नौकरी पर रखने के लिए चिंतित हैं। उन्हें उस समय कभी भी चिंता नहीं होती जब पटसन, कपड़ा, तम्बाकू उद्योग में काम पर लगी महिलाओं को आधुनिकीकरण के नाम पर नौकरियों से निकाल दिया जाता है। और न ही उन्हें उस समय कोई चिंता होगी जब नयी आर्थिक नीतियों के कारण महिलाओं की नौकरियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा। यह अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए कि 'जनसंख्या के विस्फोट' के कारण मालिक लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है जिसके लिए केन्द्र सरकार तथा दूसरे

इस अंक में

कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ जारी रखो	2
भाजपा के रामराज्य में महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा	4
जयपुर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना	7
परिवार नियोजन : महिलाओं के मूल्य पर	8
दक्षिण एशिया में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर कार्यशाला का आयोजन	9
चिकित्सा सुविधाएं जारी रखी जाएं उड़ीसा महिला आयोग की मांग	10
एक अविस्मरणीय घटना 1946 का सैन्यद्रोह	11
महिला कर्मी की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में जनसभा	12
मछली पटनम का नकली स्वर्ण आभूषण उद्योग	13
कोयंबटूर एल आई सी कामकाजी महिलाओं का सातवां सम्मेलन	14
बिहार में समन्वय समिति की बैठक	15
पटना में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल प्रदर्शन	15
आई सी डी एस आंगनवाड़ी : कागजी योजना	16

फोटो :

ऊपर : बीमा निगम कर्मचारी संघ कोयंबटूर मंडल के तत्वाधान में आयोजित एल आई सी कामकाजी महिलाओं का सातवां सम्मेलन !

(बाएं से) का. कौतिलता, का. एस नागलता, का. उमा माहेश्वरी, का. एस सारानामी और का. टी शांति !

नीचे : सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण !

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित ।

संगठन चिंतित दिखाई देते हैं। दूसरे प्रसूति लाभ तथा शिशु पालन-गृह पर होने वाला खर्च कुल वेतन तथा अन्य बिलों के 4% भाग से अधिक नहीं है। इसलिए, मालिकों से इतनी छोटी सी राशि के लिए चिंतित होने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सरकार द्वारा शुरू की गई नयी आर्थिक नीतियों और निजीकरण के कारण पुरुष या महिला दोनों की नौकरियों पर हमला किया जा रहा है। इन्हीं नीतियों के एक भाग के रूप में महिलाएं इन हमलों का पहला शिकार बनेंगी।

भाजपा की ओर से एक और तर्क दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि 'महिलाओं को अपने बच्चों की देख-भाल और रसोई गृह के कामों' को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। भाजपा की सचिव तथा इस नीति की समर्थक श्रीमती मृदुला सिन्हा ने खुले रूप से इन नीतियों का समर्थन किया है जिनकी सर्वत्र आलोचना की जा रही है। वास्तव में कामकाजी महिलाओं के 1979 में हुए पहले सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं को उनकी इच्छा इच्छा के अनुसार प्रसूति अवकाश देने की मांग की गई गई थी। संविधान का निदेशक सिद्धांत इस सम्बन्ध में कहता है कि "मां बनना स्त्री का पावन अधिकार है।" व्यवहार में यह महिला अधिकार अब 'बुराई' बन गया है। नियोजित ढंग से मां बनना स्वागत योग्य है। दो बच्चों का परिवार एक आदर्श परिवार है। इसे उद्देश्य बनाना चाहिए। कई परिवार पहले ही इस आदर्श व्यवस्था को अपना चुके हैं। प्रसूति लाभ संशोधन विधेयक का एक-मात्र उद्देश्य दो से अधिक बच्चों के लिए केवल महिलाओं को ही उत्तरदायी ठहराना है। केवल महिला को ही दण्ड क्यों दिया जाए और उसे लाभ रोजगार से वंचित किया जाए जबकि पुरुष भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी है? पिता के रूप में महिला की भूमिका पर विचार नहीं किया गया। हम समझते हैं कि यह कदम वर्तमान पुरुष प्रधान समाज तथा सरकार के परिणाम-स्वरूप ही उठाया गया है।

प्रसूति लाभ अधिनियम घेरे में आने वाली महिलाओं की बहुसंख्या पलांटेशन, बीड़ी, कृषि, निर्माण इत्यादि कार्यों में लगी महिलाओं की ही है। उन पर इस अधि-नियम का दुष्प्रभाव पड़ेगा और उन्हें लाभ की छोटी सी राशि और अवकाश से वंचित होना पड़ेगा। महिलाओं को बिना किसी अपराध के दंड मिलेगा और सरकार को इससे क्या लाभ होगा? इस समय उपलब्ध प्रसूति लाभ की राशि बहुत ही कम है, विशेष रूप से उस समय जब कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और दवाइयों के दाम आकाश को छू रहे हों। इतनी अल्प राशि का मां या उसका नवजात बच्चा क्या करेगा? यह बात रेखांकित की जानी चाहिए कि चतुर्थ वेतन आयोग ने दो बच्चों तक प्रसूति लाभ देने की सिफारिश की है। प्रस्तावित संशोधन में यह भी नहीं बताया गया कि यदि मालिक कामकाजी महिला को निर्धारित राशि का लाभ नहीं देता तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। वे कई बहाने बनाकर कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ से वंचित रखते हैं।

उक्त संशोधन में कहा गया है कि महिलाओं को तीसरे बच्चों के जन्म के बाद भी उनकी सुविधा के अनुसार अवकाश मिलता रहेगा। श्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय महिला आयोग यह दिखाना चाहते हैं कि वे माताओं, कामकाजी महिलाओं के प्रति मित्रवत हैं। वास्तव में महिलाओं को उन लाभों जिन्हें प्राप्त करने की वे अधि-कारी हैं, से वंचित किया जाता है तो मालिक को कुछ नहीं कहा जाता और न ही उसे दंड दिया जाता है। मज-दूर संघ प्रसूति लाभ अधिनियम को कार्य रूप दिलाने हेतु संघर्षकर रहे हैं। असम में पलांटेशन उद्योग में प्रसूति लाभ अधिनियम का पालन न होने संबंधी श्रम मंत्री से शिकायत की गई, किन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस प्रश्न पर हमारा चीन का अनुभव कैसा है। जैसी कि प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि वहां बहु-संख्य लोगों को शिक्षा, आवास और रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यद्यपि एक बच्चा एक परिवार का नारा दिया गया है तथापि सरकार उसे कार्यरूप देने में कठिनाई महसूस कर रही है। दोनों पुरुष तथा महिलाएं शिक्षित होकर और अपने जीवन स्तर को ऊंचा करके धीरे-धीरे इस धारणा को अपनाते जा रहे हैं और अपने सामंती विचारों का परित्याग कर रहे हैं। सामंती-बुर्जुआ चरित्र वाली हमारी सरकार को दो बच्चों के परिवार के आदर्श को अपनाने हेतु जनता को तैयार करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जो लोग छोटे परिवार के आदर्श का प्रचार करेंगे

[शेष पृष्ठ 8 पर]

भाजपा के रामराज्य में महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा

[लेखक श्री शरद जावेदकर, मराठी की द्विमासिक पत्रिका 'बवाजा' में प्रकाशित, अंक अप्रैल-जुलाई 1993, हिन्दी अनुवाद : अशोक वासिष्ठ]

"महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान हैं।"
—महात्मा ज्योति राओ फुले

"महिलाओं को केवल घर का काम ही करना चाहिए और उनकी प्रगति उस सीमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नारी-स्वतन्त्रता के लिए काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भी ऐसे ही विचार रखे जा रहे हैं। हम समझते हैं कि महिलाओं को इतने संकीर्ण उद्देश्य तक सीमित रखने वाला विश्व उदार चेता नहीं हो सकता। समाज द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतया विकसित होने का अवसर सुलभ कराना चाहिए। यदि इस बात को सिद्धांत रूप में मान लिया गया और महिलाओं से कहा जाए कि वे अपने लिए इतने निम्नस्तरीय उद्देश्य जैसा कि ऊपर बताया गया है, का चयन करें तो यह कार्रवाई निश्चित रूप से दमनात्मक होगी। असफलता नहीं अपितु निम्न उद्देश्य का निर्धारण करना अपराध है।"
—डा० अम्बेडकर

डेली टेलीग्राफ के 7 अप्रैल '93 के अंक में भाजपा महिला मोर्चे के अध्यक्षा श्रीमती मृदुला सिन्हा की भेंट वार्ता प्रकाशित हुई। इसे पढ़कर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मूलवादी मुस्लिम नेताओं जो शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करते हैं कि महिला अपने भरण-पोषण के लिए खर्च की मांग न करे, मौखिक तलाक को स्वीकार कर ले तथा पर्दे में ही रहे और उन हिन्दू भाजपाई नेताओं जो चाहते हैं कि हिन्दू महिला अपने पति, अपनी रसोई और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहे, कि वह और कहीं काम न करे, वह अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत तक न करे तथा वे दहेज लाएं; के मध्य कोई अन्तर नहीं है। राजनीति में धर्म को गडमड करने वाले नेता वे चाहे मुस्लिम हों या हिन्दू अपनी महिलाओं से यही अपेक्षा रखते हैं कि वे दासत्व में बनी रहें। श्रीमती सिन्हा की भेंटवार्ता में यही बात स्पष्ट की गई है।

श्रीमती सिन्हा का कहना है कि मध्यकाल में महिलाओं का सामाजिक दर्जा नीचा था, किन्तु यह बात सत्य नहीं है। मध्यकाल से हमारा तात्पर्य 5वीं से 15वीं शताब्दी की ओर है जब तुर्कों, पठानों और मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तब अधिकांश महिलाओं को आत्म-रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने पड़े थे। किन्तु यह भी पूर्ण सत्य नहीं है और हमें महिला के निम्न दर्जे की जड़ तक जाने के लिए इतिहास में और गहरी पैठ करनी पड़ेगी। वैदिक काल, स्मृति काल, पुराण काल और यादवों के समय नारी स्वतंत्रता कदम-ब-कदम कम होती चली गई। वर्तमान काल की अपेक्षा इस काल में महिलाओं ने कहीं अधिक स्वतंत्रता भोगी थी। वैदिक-काल में महिलाओं को पुरुषों की भांति अपने विकास की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार था। तथापि प्रत्येक दृष्टि से महिला का दर्जा पुरुष के समान नहीं था। आज भी सुसभ्य मध्यवर्गीय महिलाओं की अपेक्षा आदिवासी और खानाबदोश महिलाओं को शादी-विवाह, तलाक और सामाजिक बर्ताव के मामलों में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख धंधा बन गई, समाज में बिखराव आ गया और उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा।

इसकी परिणति वैयक्तिक सम्पत्ति और धर्म के संगठन के रूप में हुई। पितृ प्रधान समाज की स्थापना हुई और नारी को नेपथ्य में धकेल दिया गया। मनुस्मृति का यही काल है। महिला को कैसे जबर्दस्ती करके दासत्व की ओर धकेला गया। इस सम्बन्ध में डाक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में से अनेक उदाहरणें दी हैं। उनके अनुसार यही कारक भारतीय महिला के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। मनुस्मृति के समय से ही हिन्दू धर्म में महिला को दोयम दर्जा दिया गया था। महिला के स्तर को निम्न बनाने की जड़ें हिन्दुओं की धार्मिक व्यवस्था और भारत की सामाजिक संरचना ढूंढी जा सकती हैं। हमें इस बात की अनुभूति अवश्य करनी

चाहिए। मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह कहना कि महिलाओं के दर्जे की गिरावट मध्यकाल में शुरू हुई अधिक लाभदायक है, किन्तु निश्चित रूप से यह तर्कसंगत नहीं है।

मृदुला सिन्हा का कहना है कि भारत में नारी के प्रति श्रद्धा भावना एवं सम्मान रहा है। ऐसी श्रद्धा जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। किन्तु किसी व्यक्ति को सम्मानीय कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यह कहना कि महिलाएं सम्माननीय हैं और व्यवहार में उन्हें दासी बनाना, ये दो ध्रुवीय बातें हैं। वास्तविकता तो यह है कि नारी भी एक मनुष्य है और इस मनुष्य के विनाश का सामान बड़ी ही सावधानी से तैयार किया गया था। इसी मनोवैज्ञानिक अवस्था ने नारी का कामुक-उत्पीड़न कराया और दहेज प्रथा को जन्म दिया। यह कहना की नारी अत्यन्त सम्मानित रही है, कोरी बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

ऐसी भ्रांतियां कि नारी आंदोलन पुरुषों के विरोध में है, सोद्देश्यपूर्ण फैलाई जा रही हैं। पुरुष केवल पति के रूप में ही नहीं अपितु पिता, भाई, पुत्र, चाचा-मामा और मित्र के रूप में भी महिला के साथ सम्बन्धित रहा है। किसी ने भी नारी मुक्ति के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का समर्थन नहीं किया है। नारी संगठन निश्चित रूप से पितृ प्रधान मूल्यों और पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के विरोध में संघर्ष कर रही हैं। सभी मुक्ति आंदोलन और नारी संगठन व्यक्तिवादी मूल्यों के विरुद्ध संघर्षरत हैं। महिलाएं भी मनुष्य हैं। महिलाओं का आंदोलन ऐसे विचारों के विरोध में संगठित किया गया है जो महिला के अस्तित्व को ही मानने से इन्कारी हैं, उसकी प्रगति के सभी मार्ग अवरुद्ध करते हैं, उसे बच्चों और रसोई घर की सीमित परिधि में ही बांदी बनाकर रखना चाहते हैं, उसे अर्थहीन रिवाजों को मानने पर विवश करते हैं और ऐसा घटिया समाज बनाने के लिए ऐसे विचार उस पर थोपते हैं। महात्मा फुले ने 1889 में कहा था कि 'पुरुष ने महिला को शिक्षा प्राप्त करने से रोका ताकि उसे मानवीय अधिकारों का ज्ञान और समझ ही न आ सके। 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में राजा राम मोहन राय, गोपाल गणेश आगरकर, डी के कार्वे, महात्मा गांधी, डाक्टर अम्बेडकर, हामिद डेविड तथा कई अन्यों ने महिलाओं की ऐसी असहाय स्थिति को अनुभव किया और उन्होंने उनकी स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किये। नारी आंदोलन ने उन विभूतियों की महानता तथा कार्यों की प्रशस्ति की है। इसलिए यह कहना कि नारी आंदोलन पुरुषों के विरोध में चल रहा है, निराधार एवं भ्रामक है।

श्रीमती मृदुला सिन्हा फरमाती हैं कि महिलाओं को सीता एवं सावित्री के आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। किन्तु क्यों? इसलिए कि वे अपने विवाहों के प्रति प्रतिबद्ध रहीं थीं। हिन्दू परंपराओं में महिला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, केवल उसके पति के नाम पर उसकी पहचान की जाती है। महिला की वफादारी का यह हिन्दू धर्म का विचार व्यवहार में मुस्लिम समाज में भी पाया जाता है। ताराभाई शिंदे ने 1882 में इस पर तीव्र प्रहार किया था।

'महिला का धर्म क्या है? यदि वह उसे धक्के मारकर निकालना चाहे तो निकाल देता है? उसके सभी आदेशों का पालन करो? उसकी बातों का सम्मान करो? और जब वह शराब के नशे में धुत होकर, शायद जुए में सब कुछ लुट-लुटाकर, शायद डकैती करके, शायद रिश्वत लेकर, शायद किसी की हत्या करके घर वापस लौटता है तो महिला उसका स्वागत करे और उसे अपना ईश्वर समझे? क्या महिलाओं का यही धर्म है? यदि एक पुरुष अपने साथ ईश्वर जैसे बर्ताव किये जाने की अपेक्षा रखता है तो क्या उसे ईश्वर की भांति अपनी पत्नी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें उनकी खुशियों और दुख की घड़ियों में शरीक नहीं होना चाहिए। यदि पति दुष्चरित्र का है तो महिला को उसे ईश्वर के रूप में क्यों मानना चाहिए? न केवल नैतिकता अपितु महिला की सम्पूर्ण योग्यताओं पर ही 'पतिव्रता' का ताला लगा दिया गया है। यह सब इस ढंग से किया गया और महिमा मंडित हुआ कि पुरुष की प्रधानता को चुनौती ही नहीं दी जा सकी।

आज महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं वणिज्य, प्रबंधन, प्रतिरक्षा एवं कानून, राजनीति एवं सामाजिक मामलों में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे इन

क्षेत्रों में महिलाओं का अभिनंदन करें, सही सामाजिक सामाजिक वातावरण तैयार करके सुनिश्चित बनाएं कि वह इस स्थिति में स्वयं को घर की तरह अनुभव करे। किन्तु भाजपा की श्रीमती मृदुला सिन्हा जैसी नेता और उनके समान विचारधारा वाले लोग समाज को प्रागैतिहासिक काल की ओर धकेलना चाहते हैं। इसका तीव्र एवं जुझारू प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

भारतीय परिवार संस्था आज टूट रही है, परिवार महिलाओं को परेशान करने वाले केन्द्रों में परिवर्तित हो चुके हैं। सभ्य शब्दों में हम प्राय: यही कहते हैं महिला तथा पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि वे रथ के नहीं अपितु साइकिल के पहिये हैं जिसका एक पहिया सदा आगे रहता है और दूसरा पहिया पीछे। महिला की भूमिका पिछले पहिये वाली ही है। उसे ही बोझ उठाना है, उसे ही गति पकड़नी है, और उसे ही टूटना है। यदि आप अगले पहिये को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो साइकिल ही उलट जाएगी। श्रीमती मृदुला सिन्हा के विचारों में महिला को यह भूमिका बिना किसी हील-हुज्जत के स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसे मार सहनी चाहिए। उसे कोई और काम नहीं करना चाहिए और उसे अच्छा दहेज लाना चाहिए। श्रीमती मृदुला सिन्हा ऐसी विरूपित प्रताड़ना का समर्थन करती हैं। इस पर शिक्षित एवं सुसभ्य व्यक्ति को लज्जा ही हो आ सकती है। एक संस्था के रूप में परिवार का गठन ही पुरुष तथा महिला की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुआ था। इस संस्था की नींव समानता, न्याय, व्यक्तिगत विकास और आपसी सहमति के आधार पर रखी जानी चाहिए। लैंगिक आधार पर काम का बंटवारा गलत है। किन्तु श्रीमती मृदुला सिन्हा इससे सहमत नहीं हैं। वे नहीं मानतीं कि परिवार में पुरुष और महिला के मध्य मालिक एवं दासी के सम्बन्ध बदलने चाहिए। डाक्टर अम्बेडकर ने जुलाई 1942 में महिलाओं के सामने भाषण करते समय कहा था कि अत्यन्त महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक विवाहित लड़की अपने पति की मित्र बने, प्रत्येक काम में उसके साथ सहयोग करे किन्तु एक दासी के रूप में काम करने से स्पष्ट इन्कार कर दे और समान व्यवहार की मांग करे।

भाजपा नेता श्री के आर मल्कानी ने गत 24 जुलाई 1993 को 'द टाइम्स आफ इण्डिया' में 'व्यू पवायेंट' शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में लिखा था कि यह कहना सही नहीं है कि भाजपा महिला विरोधी है। हिन्दू परंपराओं ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है और भाजपा इसी को जारी रखना चाहती है। यदि तथ्य यही है तो 1992 की अपराध रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति सात सैकंड में महिला के प्रति अपराध होता है, प्रति 1 घंटा 45 मिनट में एक महिला दहेज की बलि चढ़ जाती है, प्रत्येक 26 मिनट में महिला का लैंगिक दोहन किया जाता है और प्रत्येक 54 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है। ऐसा क्यों? इन प्रताड़नाओं के पीछे भी कौन-सा मनोविज्ञान काम करता है? श्रीमती सिन्हा का लेख इस सम्बन्ध में क्या कहता है? क्या भाजपा ने कभी इस मुद्दे पर तर्कसंगत बहस करानी चाही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो भारत में सभी हिन्दू मूलवादी संगठनों का मातृ संगठन है, का इस सम्बन्ध में उदाहरण अवश्य दिया जाना चाहिए। यद्यपि हिन्दू समाज में 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है फिर भी उन्हें संघ में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की गई है। मानो अछूतों को कहा जाए कि वे पृथक कुएं से पानी भर सकते हैं।

श्रीमती सिन्हा ने शायद ही महिलाओं की समस्याओं पर कभी विचार किया हो। वे जो कुछ भी कहती हैं, सभी सतही बातें हैं। उनके लेख में व्यक्त किए गए विचार पुराने पड़ चुके हैं और यदि कहा जाए कि वे गल-सड़ चुके हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। किसी भी भाजपाई नेता ने इस संबंध में श्रीमती सिन्हा के साथ असहमति व्यक्त नहीं की है। यह विचारणीय प्रश्न है। अत: यह स्पष्ट है कि यदि भाजपा जैसी 'हिन्दू खोमैनी' पार्टी सत्ता में आ गई तो सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यही उस समय का कानून होगा। नारी स्वतंत्रता के लिए 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में जितने प्रयास किए थे, उन सब पर भाजपा पानी फेर देगी।

कुछ भाजपाई नेता तिलक, महात्मा गांधी के संबंध

में भाषण देते हैं, वे हेडगेवार की अम्बेडकर के साथ तुलना करते हैं किन्तु (पिछले वर्ष) अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अयोध्या में भयानक कारनामा करते हैं, श्रीमती विजया राजे सिंधिया जैसी नेता सती प्रथा का समर्थन करती हैं और श्रीमती सिन्हा की यह भेंटवार्ता—बस कुछ पूछिए ही न ? कम से कम हमें भाजपा की सही तस्वीर के तो दर्शन कराए जाएं। भाजपा महात्मा फुले, महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर का नाम सम्मान से लेती है। इसका केवल यही अर्थ है :

1. भाजपा ने फुले, अम्बेडकर और गांधी को समझा ही नहीं है या

2. भाजपा की चिन्तन प्रक्रिया में घालमेल हो चुका है या

3. वे मक्कार हैं।

डाक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी पुस्तक 'रीप्रिंट आफ पाकिस्तान एण्ड पार्टिशन आफ इण्डिया' वालियम 8, पृष्ठ 358' में हिन्दू मूलवाद द्वारा उत्पन्न किए गए खतरों की व्याख्या की थी। यदि हिन्दू राष्ट्र की धारणा साकार हो गई तो वह वास्तव में हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी आपदा होगी। हिन्दू जो कुछ भी कहते या हिन्दूवाद स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों के लिए खतरा है। अपने दृष्टिकोण से हिन्दूवाद लोकतंत्र का शत्रु है। इसलिए हमें पूरी शक्ति के साथ हिन्दू राज्य के विचार का विरोध करना चाहिये।

जयपुर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन जिला शाखा की ओर से सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, सभी कर्मचारियों को स्थायी करने, अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति देने, नियमित भुगतान, नियमानुसार 5-10 वर्षों पर वेतन वृद्धि स्वीकारने, उच्च अधिकारियों केनिरंकुश, दमनकारी व शोषणकारी आदेशों पर रोक लगाने, निजीकरण की साजिश को रोकने तथा न्यूनतम मानदेय राशि में जीवन-निर्वाह हेतु वृद्धि की मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना स्टेच्यू सकिल पर दिया।

संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में जिला मंत्री सुशीला शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर जयपुर जिले के अलावा अजमेर जिले यूनियन की 51 कर्मचारियों ने भी धरना-स्थल पर धरना दिया तथा विभिन्न साथिनों श्रीमती मांगी देवी, विद्या अरोड़ा, आशा जैन, सरोज, कुम्पावत, श्रीमती दुर्गेश (अजमेर), सावित्री शर्मा ने धरनार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

विज्ञप्ति में आगे बताया कि धरना-स्थल पर जनवादी महिला समिति की महामंत्री सुमित्रा चौपड़ा, जिला मंत्री कुसुम साईंवाल, जनवादी नौजवान सभा के बाबूलाल लुगरिया तथा सीटू के जिलाध्यक्ष अच्चन खां ने संबोधित करते हुए महिला-कर्मचारी-मजदूर आंदोलन की एकजुटता की आवश्यकता को रेखांकित किया। सभा को विधि विभाग के प्रोफेसर गंगा सहाय शर्मा ने भी संबोधित किया।

धरने के पश्चात श्रीमती दुर्गेश, सावित्री शर्मा, आशा जैन, विद्या अरोड़ा तथा मुन्ना जैन के प्रतिनिधिमंडल ने बिरादाराना संगठन सीटू के सचिव भंवर लाल बापना के नेतृत्व में सचिवालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती नरेन्द्र कंवर को 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 18 वर्षों से काम करने वाली कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को राज्य सर-सरकार के कर्मचारी नहीं माना गया और न ही उन्होंने कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधाएं दी जाती हैं। अतः उन्हें तुरन्त सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मानदेय की राशि अत्यन्त अल्प है, उसमें तुरंत वृद्धि की जाए या वेतन की नयी दरें निर्धारित की जाएं। वेतन का भुगतान समय पर किया जाए।

कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उनकी निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ग्राम सेविका या अन्य पदों पर पदोन्नति दी जाए और अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के पश्चात स्थायी करने के आदेश अविलम्ब जारी किए जाएं। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की नियुक्ति दिये जाने पर आरक्षित पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां दी जाएं।

आंगनवाड़ी केन्द्रों को निजी क्षेत्र के हवाले न किया जाए। इससे इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण बढ़ जाएगा। विभाग उच्च अधिकारियों के निरंकुश, मनमाने एवं दमनपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। अन्य राज्यों की भांति देय त्यौहार भत्ते/बोनस का भुगतान समानता के सिद्धांत के अनुसार किया जाए इत्यादि।

परिवार नियोजन : महिलाओं के मूल्य पर

लोतिका सरकार और उषा रमानाथन का लेख (फोर्म, दिसम्बर 5) चौंका देने वाला है। इससे पता चलता है कि कैसे सरकार की दोषपूर्ण परिवार नियोजन नीतियों के कारण महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता है।

लगता है सरकार की परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अपनी कोई अवधारणा ही नहीं है। इसका संकेत कामकाजी महिलाओं के लिए चिकित्सा लाभ बंद करने सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन तथा उन्हें गर्भपात कराने की छूट देने से मिलता है। हर हालत में गाज महिलाओं पर गिरती है। यह भी एक बिडम्बना ही है। जबकि तथ्य यह है कि बच्चे के जन्म के लिए पुरुष भी उतना ही उत्तरदायी है। यद्यपि छोटे परिवार के नियम के बारे में दो विचार नहीं हो सकते तथापि सरकारी नीतियां केवल महिलाओं को ही अपने प्रकोप की पात्र बनाती हैं।

यही नहीं, प्रस्तावित विधेयक तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी न्यायसंगत नहीं है जो अपने पहले पति से दो बच्चों की माताएं बन चुकी हैं। यदि वह दोबारा विवाह करा लेती है और तीसरे बच्चे को जन्म देती है (अपने दूसरे पति से) तो उसे प्रसूति चिकित्सा सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। क्या कानून उसकी दुविधापूर्ण स्थिति पर तनिक विचार नहीं करेगा?

अब भी, कुछ कल्याण संगठन पहले बच्चे को जन्म देने से पूर्व महिला को एक मास का अवकाश देने से इन्कारी हैं। इसके अतिरिक्त एयर लाइन्स, फार्मास्यूटिकल, दूर संचार तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियां किसी भी बहाने महिलाओं को नौकरी में भर्ती करने से गुरेज करती हैं। वे इसके लिए वर्तमान में विद्यमान किसी भी उत्तेजक विधेयक का दृष्टांत देती हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ऐसा अलोकतांत्रिक विधेयक थोपना सरकार की नासमझी ही है। भारत के संविधान में पर्याप्त प्रसूति लाभ और काम की मानवीय परिस्थितियों जिन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की धारा 15(3) तथा धारा 43 में उद्धरित किया गया है, का प्रावधान रखा गया है। संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का यही संक्षेपण है।

प्रतिगामी नीतियां अपनाने वाले हमारे कानून निर्माता वास्तविक अपराधी अर्थात् तीसरे बच्चे के पिता को दंडित करने से इन्कार कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को किसी संविधानिक पद पर विराजमान होने से कैसे रोका जाएगा जो दो से अधिक बच्चों का मिला है?

जयश्री एच. जोशी, पालानपुर, गुजरात

(पृष्ठ 3 का शेष)

उन्हें पहले यह सोचना होगा कि आखिर केवल महिलाओं को ही इसके लिए उत्तरदायी क्यों करार दिया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग को भी उसने इस प्रश्न पर सरकारी नीति का समर्थन किया तो उसे महिलाओं के गुस्से एवं प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

कामकाजी महिलाएं और ट्रेड यूनियन आंदोलन, महिला संगठन सभी वर्तमान संशोधन को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए सरकार को विवश करने और इसे कार्य रूप देने से रोकने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों को लामबंद करें।

अवश्य पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये
वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

दक्षिण एशिया में कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर कार्यशाला का आयोजन

वी. वी. प्रसन्ना कुमारी

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में गत 3 से 9 दिसंबर तक एशियाई महिलाओं की समिति की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आतिथेय थे नेपाली ट्रेड यूनियन की जनरल फेडरेशन (जी एफ ओ एन टी) का केन्द्रीय कामकाजी महिला विभाग (सी डब्ल्यू डब्ल्यू डी)। पांच दक्षिण एशियाई देशों के 27 प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इनमें से 2 प्रतिनिधि भारत, 4 पाकिस्तान, 5 बंगलादेश, 10 नेपाल के थे। सुश्री च्यूंग चोई वान सैक्रेटेरियट सदस्य सी ए डब्ल्यू तथा हांगकांग की सुश्री किम थोंग ही भी इसमें शामिल हुईं। भारत का प्रतिनिधित्व वी वी प्रसन्ना कुमारी कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) की सदस्यता तथा एस एफ डब्ल्यू ए की सुषमा वी पाटिल ने किया।

कार्यशाला में कामकाजी महिलाओं की सामान्य परिस्थितियाँ, प्रमुख मुद्दों और उनके वेतनों के प्रश्न पर विचार किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी देश लगभग एक जैसी समस्याओं विशेष रूप से आर्थिक उदारीकरण से महिलाओं के ऊपर पड़ रहे दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं। यही इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक द्वारा निर्देशित संरचनात्मक सामंजस्य कार्यक्रम 21वीं शताब्दी के लिये हमारी जनता का कार्यक्रम नहीं हो सकता। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उनको कार्यरूप देने संबंधी संयुक्त कार्य के संदर्भ में ही अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा अपने कार्यक्रम की व्याख्या करनी होगी।"

बंगलादेश की प्रतिनिधि ने कहा, "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विकास कार्यों के लिए बंगलादेश को ऋण देते हैं। यह ऋण अपने साथ अनेक शर्तें लाता है और उसकी नीतियां मजदूर विरोधी हैं विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए नुकसानदेह होती हैं।"

श्रीलंका की प्रतिनिधि ने कहा कि विदेशी पूंजीनिवेशकों जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में कारखाने खोलते हैं, का एकमात्र उद्देश्य उस देश के संसाधनों का दोहन करना और भारी मुनाफा कमाना होता है। अधिकाधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दूसरे देशों ने गरीब राष्ट्रों के अर्थतंत्र और नीतियों पर गलबा करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियां केन्द्रित करनी शुरू कर दी हैं। आज हमारा देश ऋण के बोझ तले इतना दब चुका है कि वह कोष/बैंक का प्रत्येक आदेश मानने की स्थिति में फंस गया है।

भारतीय रिपोर्ट में हमने जोर देकर कहा कि साम्राज्यवादी शक्तियां तृतीय विश्व के देशों को नयी प्रौद्योगिकी और शोधों के बल पर अपना बाजार बनाने का प्रयास कर रही हैं। इन देशों के सत्ताधारी दल इन जन विरोधी कार्यों में उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में मैंने आंगनवाड़ी महिलाओं के मध्य अपने कार्यों का भी सविस्तार उल्लेख किया।

सामान्यत: अल्प साक्षरता, असमान वेतन, कामकाजी महिलाओं में जागरूकता का अभाव, भेदभावपूर्ण कानून और बाल मजदूरी जैसी समस्याएं सभी देशों में पाई जा रही हैं। खेत मजदूर तथा किसान सभी एक समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सभी देशों में पितृ प्रधान समाज, पुरुष का आधिपत्य और कामकाजी महिलाओं में हीन भावना का ग्रंथी पाई जाती है।

सभी देशों का आर्थिक पक्ष समान उपनिवेशवादी तथा सामंती चरित्र वाला है। वर्तमान सरकारों द्वारा अपनाई गई पूंजीवादी नीतियां उन्हें निजीकरण और भारी आर्थिक ऋण ग्रस्तता की ओर धकेल रही हैं।

इस बहस के साथ-साथ हमें नेपाल की कामकाजी महिलाओं के सम्बन्ध में भी जानने का अवसर मिला। हमें काठमण्डु के तीन कारखानों में भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

नेबिको बिस्कुट फेक्टरी जिसका कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण किया गया है में महिलाएं कुल श्रम शक्ति का 30 प्रतिशत हैं। यूनियन के कार्यकर्ताओं को 1982

की हड़ताल के सम्बन्ध में निकाल दिया गया है।

बिस्वास गार्मेंट फेक्टरी जिसका स्वामी एक भारतीय है, पूर्णतया निर्यातोन्मुखी है। अन्य दक्षिण एशियाई देशों की भांति नेपाल गार्मेंट फेक्टरी भी पुरुष प्रधान है।

संगरिला कार्पेट फेक्टरी का अनुभव हम सब के लिए दुखदायी रहा। फेक्टरी के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था : "बाल श्रमिकों के लिए पूर्ण प्रतिबन्धित।" किन्तु हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब हमने वहां आठ वर्ष से भी कम आयु के बच्चों को कार्पेट की बुनाई और रुई साफ करने के काम में लगे देखा। यहां भी 'पीस रेट' के बहाने पूर्णतया दास प्रथा का प्रचलन देखा जा सकता था—पूरे का पूरा परिवार सुबह से शाम तक और उसके बाद भी वहां काम पर जुटा देखा जा सकता है।

जी ई एफ ओ एन टी नेपाल में कामकाजी महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे लोग कार्टूनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को ट्रेड यूनियन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। वे पिकनिकों का आयोजन करते हैं और कामकाजी महिलाओं को जो अपने सामाजिक जीवन से दुखी होती हैं, स्थानीय उत्सवों के अवसर पर समारोहपूर्ण एक स्थान पर एकत्रित करते हैं।

महिला श्रमिकों को अपनी-अपनी यूनियनों तथा सी डब्ल्यू डब्ल्यू डी में शामिल होना होगा। वे अखिल नेपाली महिला संघ के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती है ताकि उन्हें महिलाओं की समस्याओं और संघर्षों की जानकारी हो सके।

कार्यशाला में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को तीन गुटों में बांटा गया। गुटीय-बहस कराई गई। इससे प्रत्येक महिला प्रतिनिधि की दूसरी प्रतिनिधि के सघर्षों और संगठन सम्बन्धी अनुभवों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली। प्रत्येक गुट ने अपने एक रिपोर्टर का चयन किया जिसने आम बहस में भाग लिया।

जी ई एफ ओ एन टी कार्यालय की हमारी यात्रा अविस्मरणीय रही। वहां हमारी सी डब्ल्यू डब्ल्यू डी की समन्वयक कामरेड बिद्या भण्डारी के साथ भेंट हुई और उनके साथ विचार विमर्श किया गया। यह अवसर भी कम अविस्मरणीय नहीं था।

चिकित्सा सुविधाएं जारी रखी जाएं उड़ीसा महिला आयोग की मांग

महिलाओं के लिए उड़ीसा राज्य आयोग ने प्रसूति लाभ अधिनियम 1971 में प्रस्तावित संशोधनों का तीव्र विरोध किया है। इन संशोधनों के अन्तर्गत तीसरे बच्चे के जन्म के पश्चात् कामकाजी महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा बंद करने का प्रावधान रखा गया है।

आयोग ने विचार व्यक्त किया है कि मां और बच्चे के हित में चिकित्सा सुविधाओं को जारी रखना आवश्यक है।

संशोधनों के पारित होने की स्थिति में सुझाव दिया दिया गया है कि कानून को प्रभावी किया जाए ताकि विवाहित जोड़ों को मीडिया अभियान के द्वारा इससे सावधान होने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

आयोग की अध्यक्षता डाक्टर राणा मिश्रा ने बताया कि आयोग पैनल बहस जिसमें विधि वेताओं, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासकों, शिक्षा शास्त्रियों के अतिरिक्त उसके सदस्यों ने भाग लिया था, के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है।

आयोग ने कुछ अन्य संशोधनों का स्वागत किया है। उसके अनुसार यह 'जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति को नियन्त्रित करने की दिशा में एक कदम है, किन्तु बच्चे के जन्म के समय चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महिला का मौलिक अधिकार है।" चिकित्सा लाभ की अनुपलब्धता से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

आयोग ने सिफारिश की है कि जन्म नियन्त्रण का दायित्व तुरन्त माता की अपेक्षा पिता पर डाला जाए। यह "दुर्भाग्यपूर्ण है कि 96 प्रतिशत नलबंदियां महिलाओं की ही की जाती हैं। यद्यपि नसबंदी की अपेक्षा नलबंदी जन्म नियंत्रण का अधिक आसा और सुरक्षित उपाय है। लूप तथा हार्मोन्स टेबलट महिलाओं के लिए उचित है।

आयोग ने मांग की है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में दो या दो से अधिक बच्चों के जन्म के बाद पुरुषों की अनिवार्य रूप से नसबंदी की जाए। नसबंदी न कराने वाले पुरुष कर्मचारियों को उनकी वार्षिक तरक्की तथा पदोन्नति रोककर दंडित किया जाए। (द टेलीग्राफ, दिनांक दिसम्बर, 16, 1993)

एक अविस्मरणीय घटना 1946 का सैन्यद्रोह

विमल रणदिवे

ब्रिटिश शासन के विरोध में 18-21 फरवरी 1946 को असाधारण स्तर पर रायल इण्डियन नेवी के नाविकों का सैन्यद्रोह हुआ। श्वेत सैनिकों के मध्य सशस्त्र संघर्ष हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार घटी थी। वास्तव में आत्म समर्पण का आदेश जारी होने के पश्चात् भी विभिन्न बेड़ों में नाविकों का संघर्ष जारी रहा है। विभिन्न वर्गों में अभूतपूर्व एकता स्थापित हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् पहली बार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया गया था। इसी संघर्ष के फलस्वरूप उन्हें देश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हमारे नेताओं के साथ बातचीत करने पर विवश होना पड़ा। यह लेख हमारे पाठकों को हमारे इतिहास के उस गौरवपूर्ण अध्याय की जानकारी देने का तुच्छ प्रयास है—सम्पादक !

रायल इंडियन नेवी के बम्बई, कराची, कलकत्ता तथा अन्य बंदरगाहों में स्थित जंगी बेड़ों में कार्यरत भारतीय सैनिकों एवं नाविकों ने अपनी उचित मांगों के लिए फरवरी 1946 को सैन्यद्रोह किया था। ब्रिटिश सत्ताधारी बेड़े के नाविकों के साथ दासों जैसा बर्ताव करते थे, उन्हें भद्दी एवं अश्लील भाषा में गलियां देते थे और 'भारतीय कुत्ते' जैसे संबोधनों से उन्हें पुकारते थे। उन्हें घटिया और अपर्याप्त खाना दिया जाता था। इस सब के विरोध में नेवी के जवानों ने हजारों की संख्या में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे हाथों में पकड़कर बम्बई शहर की सड़कों पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया था। वे 'आई एन ए के बंदियों को रिहा करो, इन्कलाब जिंदाबाद, जय हिन्द' इत्यादि गगनचुम्बी नारे लगा रहे थे। उस समय यही जनता के देश भक्तिपूर्ण नारे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने नाविकों की इस गतिविधि का समर्थन किया था। इसके पक्ष में उसने फैक्टिरियों, के मजदूरों, स्कूलों एवं कालेजों के छात्रों को 22 फरवरी 1946 के दिन आम हड़ताल करने का आह्वान किया था। उसी दिन श्वेत सिपाहियों जिन्होंने शस्त्रों से सुसज्जित होकर एक पुलिस वैन में 'मोर्चा' संभाला हुआ था, ने प्रभात के समय साधारण जनता जिसमें बच्चे भी शामिल थे, पर अंधाधुंध गोली चला दी। इस गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। यह एक पूर्ण नरसंहार था, उन लोगों का जो अपने काम पर जा रहे थे, उन महिलाओं का जो दूध लेने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़ी थीं। कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर 22 फरवरी को श्रमिकों ने जबर्दस्त हड़ताल की। क्या मजदूर, क्या छात्र, क्या महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता सभी नेवी की हड़ताल की सफलता करने में व्यस्थ थे। वे नेवी के जवानों के साथ उनके जुलूसों-प्रदर्शनों में शामिल होते। वे नाविकों के लिए बेड़ों तथा समुद्री तटों पर खाना लेकर जाते।

हम सभी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा जन संगठनों के सदस्य श्रमिकों की हड़ताल में व्यस्त थे। हम गेट तथा नुक्कड़ सभाएं करते और जनता को नेवी के जवानों की मांगों के बारे में समझाते। उस दिन महिलाओं का सम्मेलन होने जा रहा था किन्तु हड़ताल के कारण उसे रद्द करना पड़ा। बम्बई शहर तथा परेल जहां हमारा कार्यालय स्थित था, में तनावपूर्ण स्थिति थी। श्वेत सिपाहियों द्वारा गोली चलाने से निर्दोष लोग मारे जा चुके थे। महिला समिति की नेता का. अहल्या, कुसुम और कमल दोंदे दामोदर हाल की ओर जा रही थीं ताकि सम्मेलन के स्थगित होने की सूचना दी जा सके। तभी अचानक मुख्य सड़क की ओर से उस सड़क पर एक पुलिस वैन आई। श्वेत सिपाहियों ने हमारी महिला साथियों की ओर गोलियां बरसाईं। कमल पहला निशाना बनी। उसकी छाती पर गोलियां लगीं और वह नीचे गिर पड़ी। कुसुम की टांग में गोली लगी और उसमें से काफी रक्त बह रहा था। अहल्या किसी तरह बच निकली। मैं भी एक भवन की ओर सम्मेलन के स्थगन की सूचना देने जा रही थी। वह सड़क भी सूनसान थी। मैं नहीं जानती, मैंने अपने आप को कैसे बचाया था। यह वही भवन था जहां अनेक लोग मारे गये थे। का. बी टी रणदिवे परेल स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में थे।

वहीं से वह प्रत्येक मिनट के बाद नेवी की हड़ताल और आम हड़ताल के लिए निर्देश देते रहे। ज्यों ही गोलीबारी में कामरेडों के मारे जाने की सूचना पहुंची त्यों ही कामरेड दोंदे घायल महिला साथियों की सहायता करने के लिए पहुंच गए। कमल को अस्पताल ले जाया गया, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इससे पूर्व कि का. दोंदे उसे लेकर अस्पताल पहुंचते, वह उनकी बांहों में दम तोड़ गई।

अगले दिन समाचार पत्रों ने हजारों नाविकों द्वारा विभिन्न बेड़ों में की गई ऐतिहासिक हड़ताल तथा मजदूरों, छात्रों, इत्यादि की आम हड़ताल के समाचार प्रकाशित किये। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का नेतृत्व इससे भयभीत हो उठा और उसने श्रमिकों के साथ द्रोह करते हुए ब्रिटिश शासन के आगे आत्म समर्पण कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल (कांग्रेस) तथा मोहम्मद अली जिन्नाह ने नाविकों के नाम एक लिखित नोट में उनसे अनुरोध किया कि वे काम पर लौट जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगे मानने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। उस समय केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही बेड़ों के नाविकों के पक्ष में डटी रही। तलवार तथा कैसल बराक बेड़ों में सवार भारतीय सैनिकों ने श्वेत सैनिकों की गोलीबारी के जवाब में गोली चलाई। ब्रिटिश शासन के लिए यह एक चुनौती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों के नेताओं द्वारा गद्दारी किये जाने के कारण पीछे हटना पड़ा।

इस प्रकार नेवी के नाविकों की ऐतिहासिक हड़ताल ही समाप्त हो गई। ब्रिटिश शासकों ने इससे सबक सीखा। अंततः उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजना पड़ा। इसकी घोषणा 19 फरवरी को की गई। इसका परिणाम 1947 में हमारे देश की स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में निकला। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के पश्चात् कांग्रेस-लीग के झंडे तले प्रदर्शित अविस्मरणीय हिन्दू-मुसलमान एकता की परिणिति भारत और पाकिस्तान के बटवारे के रूप में हुई। कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका जिसने नेवी के बेड़ों से लेकर प्रदर्शन स्थलों पर लाल झंडे लेकर हड़ताल में काम किया था, पूरे बम्बई की जनता द्वारा रेखांकित की गई और उसे अनुभव किया गया। नेवल हड़ताली जान गए थे कि कौन उनके मित्र हैं और कौन गद्दार। रायल इंडियन नेवी के सैन्यद्रोह 5-6 दिनों के मध्य देश भक्ति की जिन उच्च भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। तलवार, बेरार, मोनी, नेलाम, जम्मू तथा कई अन्य बेड़ों के नाविकों ने भारी बलिदान दिये हैं। अपनी मांगों के लिए उन्होंने अनशन किये और अपने प्राण तक न्योछावर कर दिये। अंततः इसके फलस्वरूप 1947 में देश को स्वतंत्र कराने में सहायता मिली।

इसलिए हमारे देश के लोगों के लिए 22 फरवरी का दिन अविस्मरणीय बन गया है। रायल इण्डियन नेवी के नाविकों की हड़ताल के कारण ही जनता के सभी वर्गों में जबर्दस्त एकता लाई जा सकी और ब्रिटिश शासकों को 1947 में देश को स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार करनी पड़ी। इस दिन हम रायल इण्डियन नेवी के शहीदों, ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी में मारे गए निर्दोष लोगों और कम्युनिस्ट पार्टी की एक सदस्या का. कमल दोंदे की स्मृति में लाल सलाम कहते हैं।

महिला कर्मी की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में जनसभा

बिहार के वैशाली जनपद के अमेर गांव में गत दिवस एक महिला श्रमिक शीला देवी की एक गुंडे द्वारा उस समय जब वह पत्ता बीनने गई थी, बलात्कार करने के पश्चात् हत्या किये जाने के रोष स्वरूप महिलाओं ने जन सभा का आयोजन किया। यह घटना 26 दिसंबर 1993 को घटी। इसके विरोध में महिलाओं ने जिलाधिकारियों का घेराव भी किया।

श्रद्धांजलि एवं रोष सभा का आयोजन जनवादी महिला समिति द्वारा किया गया। 5 हजार से ज्यादा लोगों ने जनसभा में उपस्थित होकर उक्त घटना के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। जनसभा को समिति की नेता श्रीमती सुधा बिन्दु मिश्रा के अतिरिक्त सी पी आई (एम) के जिला सचिव का. जीवनाथ सिंह, का. रमावती वर्मा, श्रीमती विद्यावती इत्यादि ने संबोधित किया।

एक प्रस्ताव पारित करके हत्यारे को दंड देने, स्व० शीला देवी के पति सुरेश पंडित को नौकरी देने की मांग की गई है।

मछलीपटनम का नकली स्वर्ण आभूषण उद्योग

चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। चमकीले आभूषण पहनने की शौकीन महिलाएं भले ही वे सोना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होतीं, तो भी क्या फर्क पड़ता है, इस बात से। जब तक वह सोने के समान चमकता है, तब तक पहना ही जा सकता है। त्योहारों या शादी-विवाह के अवसर पर आभूषणों को धारण करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आभूषणों के प्रति महिलाओं की इस ललक को मछलीपटनम जैसे शांत नगर के नकली स्वर्ण आभूषण बनाने उद्योग के लिये वरदान माना जा सकता है। आंध्रप्रदेश के कुर्नूल जिले के इस शहर का यह उद्योग शायद इसीलिए बढ़ रहा है।

इस उद्योग की अनुभूति पूरे शहर में की जा सकती है। चहुं ओर टक-टक के स्वर सुनाई देते हैं। अनेक क्षेत्रों लगे इस उद्योग में महिलाएं तथा बच्चे सुबह से ही अपने काम में जुट जाते हैं। चांदी के तारों के ऊपर पोगारा तथा हथौड़ी की सहायता से डिजाइन बनाते हैं। शहर में नकली स्वर्ण आभूषण बनाने वाली लगभग एक हजार पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां हैं। इनके अतिरिक्त अनेक गैर पंजीकृत इकाईयां भी हैं। लगभग एक हजार परिवार विभिन्न ढंगों से इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। चांदी के तारों को बनाने के पश्चात् वे उन्हें बाजार में बेचने योग्य आभूषणों में परिवर्तित करते हैं।

नकली स्वर्ण आभूषण बनाने का काम कई प्रक्रियाओं में बांटा गया है। प्रत्येक प्रक्रिया का काम विभिन्न ठेकेदारों को दिया जाता है। ये ठेकेदार लोगों को जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे होते हैं, उनके घरों में ही काम उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार यह एक घरेलू उद्योग ही बन गया है। महिलाएं अत्यन्त धैर्य और संयम के साथ उंगलियों की सहायता से यह काम करती हैं। उन्हें पीस रेट पर भुगतान किया जाता है। प्रत्येक काम का रेट अलग-अलग होता है।

निर्माता ठेकेदार को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और जब तक ठेकेदार अंतिम रूप से आभूषण बनाकर उन्हें नहीं दे देता तब तक वे कड़ी निगरानी रखते हैं। वे देश भर में इन नकली स्वर्ण आभूषणों की बिक्री करते हैं। विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और बम्बई में उनका धन्धा जोरों पर होता है। कुछ निर्माता इनका निर्यात करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे निर्माता भी सक्रिय हैं। वे अधिकतर पूरे परिवार को ही काम पर रखते हैं और अपने उत्पाद स्वयं देश के विभिन्न भागों में बेचते हैं।

समूची प्रक्रिया अनेक छोटे-छोटे भागों में बंटी हुई है। उदाहरणार्थ यदि चूड़ी बनाई जाती है तो चांदी की तार कड़ी होनी चाहिए और यह काम इंजीनियरिंग वर्कशाप में किया जाता है। कड़ी की गई चांदी की तार को वांछित लम्बाई तक टुकड़ों में काटा जाता है। ये टुकड़े श्रमिकों के घरों में पहुंचाये जाते हैं जो उन्हें चूड़ी का आकार देते हैं। यह काम अधिकतर महिलाएं और बच्चे ही करते हैं। वे चांदी के तार के टुकड़ों को गोल आकार देते हैं। तब उन पर 'सोने' का विद्युत लेपन किया जाता है, सुखाया जाता है और पैक किया जाता है और निर्माता के पास भेज दिया जाता। कानों की बालियों और नेकलस की स्थिति में कुछ और प्रक्रियाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। उनमें छेद करके उसमें मणिक व नकली पत्थर डाले जाते हैं। यह काम भी महिलाओं तथा बच्चों द्वारा किया जाता है।

बहुत ही कम वेतन

किन्तु इतने कलात्मक और परिश्रम साध्य काम को करने के बदले उन्हें दयनीय सीमा तक कम वेतन दिये जाते हैं। विशेष रूप से इस काम में लगी महिलाओं और बच्चों को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। यद्यपि उन्हें अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है, धैर्य एवं संयम रखना होता और उनकी आंखों पर दबाव भी पड़ता है। महिलाएं पूरा-पूरा दिन सिर नीचा करके चूड़ियों को आकार देने के काम में लगी रहती हैं, उनके डिजाइन तैयार करती हैं। इसके लिए उन्हें केवल 13 रुपये की दैनिक मजदूरी मिलती है। युवा लड़कियों को प्रशिक्षण देने के नाम पर इस काम में लगाया जाता है। उन्हें केवल 80 रुपये प्रति माह 'वजीफा' दिया जाता है। वे प्रतिदिन

[शेष पृष्ठ 15 पर]

कोयंबटूर एल आई सी कामकाजी महिलाओं का सातवां सम्मेलन

बीमा निगम कर्मचारी संघ कोयंबटूर मंडल के तत्वाधान में जीवन बीमा निगम कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन गत 12 दिसंबर व्यासा मंदिर कल्याणा मंटापम, कोयंबटूर-12 में सम्पन्न हुआ। राज्य के तीन जनपदों येदियार, नीलगिरी और कोयंबटूर से रिकार्ड संख्या 246 महिलाएं सम्मेलन में शामिल हुई। उनमें से भी बहुसंख्या नयी भर्ती हुई महिला कर्मचारियों की थी। का. कीर्तिका, का. उमा महेश्वरी, का. शारदामणी, का. एस. नागलता और का. टी शांति पर आधारित अध्यक्ष मंडल ने सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन किया। बीमा निगम कर्मचारी संघ, कोयंबटूर मंडल के महासचिव ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव का. एन एम सुन्दरम ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महिला कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में सक्रिय भाग लें क्योंकि भविष्य में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व के दायित्व का निर्वहन उन्होंने ही करना है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हाल ही में भर्ती किए गए कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि यदि वे बीमा निगम जैसे संस्थान में पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त कर लेती हैं तो भी इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उन्होंने समाज में अपने लिए समानता पा ली है। निजीकरण के कारण रोजगार के अवसरों के सिकुड़ने की स्थिति में उन पर और भी भारी हमले किये जा सकते हैं हैं। सरकार स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए दी जाने वाली तुच्छ सुविधाओं को भी छीन रही है। इन सब के कारण महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान समाज में लोकतांत्रिक आंदोलन एवं अन्य परिश्रमी जनता के संयुक्त व निरंतर संघर्षों द्वारा ही निकाला जा सकता है।

अखिल भारतीय जनतांत्रिक महिला संगठन (ए आई डी डब्ल्यू ए) की कोयंबटूर शहरी इकाई की अध्यक्ष का. जयामल ने प्रतिनिधियों का अंतिम अभिनंदन किया। सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं तथा सामान्य रूप से पूरे महिला वर्ग की समस्याओं पर जीवंत बहस हुई और बहुमूल्य सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। बहस में 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आई आई ई ए के संयुक्त सचिव का. आर गोबिन्द राजन ने बहस का समापन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की मुक्ति का सीधा सम्बन्ध शोषण पर आधारित समाज को बदलने के साथ है। उन्होंने आह्वान किया कि महिलाएं इसी दिशा में संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार करें।

महिलाओं पर अत्याचारों तथा निजीकरण के विरोध में और भावी कार्यों के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किये गए। बीमा निगम कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव का. आर. रंगास्वामी के धन्यवाद प्रेषण के उपरान्त सम्मेलन समाप्त हो गया।

[पृष्ठ 13 का शेष]

आठ घंटे से अधिक काम करती हैं। उन्हें कोई अवकाश, चिकित्सा सुविधा या सुरक्षा नहीं दी जाती। बढ़ती जा रही बेरोजगारी एवं प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत उनके वास्तविक वेतन कम हो रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व चूड़ियों के प्रति जोड़े पर उन्हें 0.75 पैसे दिये जाते थे, अब केवल 40 पैसे ही दिये जाते हैं।

यह अधिकतर घरेलू उद्योग ही हैं तथापि कुछ फैक्टरियों ने श्रमिकों को काम पर लगाया हुआ है। श्रमिक असंगठित हैं। उनमें भारी संख्या महिलाओं तथा बच्चों की है। वे सदा इस बात से आक्रांत रहते हैं कि यदि उन्होंने अधिक वेतन या अधिक सुविधाओं की मांग की तो वे थोड़े-बहुत वेतन से भी हाथ धो बैठेंगे। बड़े निर्माता देश-भर में अपने उत्पाद बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसके विपरीत छोटे निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में श्रमिकों के अधिकारों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है।

भारत सरकार इन श्रमिकों के कल्याण कार्यों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं लेती। न्यूनतम वेतनों का निर्धारण तक नहीं किया गया। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वे अपना समय तथा ऊर्जा अपने माता-पिता को सहायता देने में खर्च करते हैं ताकि वे कुछ रुपये कमा सकें। महिलाओं और बच्चों की आंखों पर दबाव पड़ता है और पीठ का दर्द होता है क्योंकि कई-कई घंटों तक उन्हें सिर झुकाए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। सी आई टी यू इन श्रमिकों को उनकी मांगों के लिए संगठित करने का प्रयास कर रही है।

बिहार में समन्वय समिति की बैठक

कामकाजी महिलाओं की बिहार समन्वय समिति की एक विस्तृत बैठक गत 28 फरवरी को पटना में हुई। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित लगभग 25 महिलाओं ने बैटक में भाग लिया तथा अपनी समस्याओं की जानकारी दी। कोयला-पत्थर खदानों, बीड़ी उद्योग से सम्बन्धित महिलाओं तथा मध्यम वर्गीय कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता का. रमणिका गुप्ता ने की। बिहार राज्य सी आई टी यू के महासचिव का. जे एस मजूमदार और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के महासचिव का. राधारमन सिंह भी बैठक में शामिल हुए तथा उन्होंने भाषण दिये।

महिला कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न उद्योगों में कम एवं असमान वेतनों का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पत्थर खदानों में कामकाजी स्थितियां बहुत भयानक और अस्वस्थ्यकर हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि बिहार सरकार द्वारा प्रसव सेविकाओं का काम समाप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी महिलाओं की भर्ती जाति आधार पर की जाने लगी है। लगभग 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वे सरकारी मान्यता के अनुसार निम्न जातियों के साथ सम्बन्ध नहीं रखती थीं। सी आई टी यू सचिव का. विमल रणदिवे ने देश भर में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान समिति से अनुरोध किया कि बैठक में हुई बहस के आधार पर काम करे। का. जे एस मजूमदार और राधारमण सिन्हा ने भावी कार्यक्रमों के बारे में बताया।

का. रमणिका गुप्ता ने बहस के पश्चात् बैठक का समापन किया। एक नयी समिति का गठन किया गया। का. रमणिका गुप्ता उसकी सचिव चुनी गयीं। कामकाजी महिलाओं का एक मांग-पत्र भी तैयार किया गया।

पटना में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल प्रदर्शन

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर गत 21 दिसम्बर को पटना में राज्य भर से आई हजारों आंगनवाड़ी महिलाओं तथा बाल विकास सेवा में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया। बिहार राज्य खेत खलिहान महिला मजदूर संघ की महामंत्री श्रीमती मंजू पांडेय के नेतृत्व में जो खेत-खलिहान में काम करने वाली हजारों महिला श्रमिकों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।

प्रदर्शनकारी शहर के गांधी मैदान में एकत्रित हुए जहां से दोपहर 1 बजे जुलूस रवाना हुआ और शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ बेली रोड के 'लेनिन चौक' में एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गया। संघ की महामंत्री श्रीमती शांति मिश्रा के अतिरिक्त अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री राधारमण सिन्हा, श्रीमती अंजू पांडेय, श्रीमती शीला सिन्हा, कमला सिन्हा, प्रभावती देवी, मनोरमा सिन्हा तथा कुमारी संध्या पांडेय ने भी जनसभा को संबोधित किया।

जनसभा की अध्यक्षता श्रीमती सुशीला देवी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने समान विचारधारा वाले सभी जन संगठनों से अपील की कि वे आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करें। श्रीमती शांति मिश्रा ने राज्य सरकार पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं की छंटनी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक छंटनी बंद नहीं होती और आंगनवाड़ी सेवा का सरकारीकरण नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि योजना आयोग की सदस्या श्रीमती गोपालन ने गत 21-23 जुलाई को दिल्ली में आयोजित फोसिस वर्कशाप में बताया था कि सरकार आई सी डी एस परियोजनाओं को गैर सरकारी संगठनों को सौंपने का मन बना चुकी है। राजस्थान तथा गुजरात में पहले ही 600 से अधिक परियोजनाओं को कार्मिक संस्थानों और विदेशी मुद्रा से संचालित संस्थानों को सौंप दिया गया है।

आई सी डी एस आंगनवाड़ी : कागजी योजना

संगठित बाल विकास सेवाओं सम्बन्धी योजना (आई सी डी एस) की प्रगति के लिए भारी धनराशि का व्यय किये जाने पर भी उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। आई सी डी एस का सबसे बड़ा कार्यक्रम बचपन की पूर्व अवस्था में बच्चों के विकास के लिए काम करना है। उसके अन्तर्गत 2.90 लाख आंगनवाड़ियां 140 लाख बच्चों की देखभाल कर रही हैं और उन्हें 27 लाख माताओं की सेवाएं प्राप्त हैं। 90 प्रतिशत से अधिक आई सी डी एस परियोजनाएं ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों तथा 8.5 प्रतिशत शहरों की गंदी बस्तियों में स्थापित की गई हैं। आश्चर्य का विषय है कि मानव संसाधन मंत्रालय 15 वर्षों की लम्बी अवधि में इसके कार्यों की समीक्षा भी नहीं करा सका। इस संबंध में आई सी डी एस योजना की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए कोई विधि अपनाने में असफल रहने पर मंत्रालय की आलोचना की है। संदेह नहीं कि मंत्रालय में आई सी डी एस और बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के कार्यों के बीच तालमेल स्थापित करने की दिशा में कुछ पहलकदमियां भी की गई हैं जैसे प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वह कम से कम 20-25 आंगनवाड़ी केंद्र तैयार करें, उन्हें अनुभवी प्रशिक्षक उपलब्ध कराएं। कार्य क्षेत्र में संसाधन संबंधी क्षमताएं उत्पन्न करने के लिए संसाधन केंद्रों पर सामुदायिक विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालय बनाने के लिए पहलकदमी की है। सचित्र पुस्तिकाएं, सचित्र पोस्टर और खिलौनों जैसा सामन सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराने, आई, सी डी एस आंगनवाड़ियों और प्राइमरी स्कूलों के मध्य समय का तालमेल बिठाने के लिए भी जैसे संभव हो सके, प्रयास किये जा रहे हैं। अभी भी, जैसा कि महिला विकास और बाल विकास पर स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है अनेक आई सी डी एस केन्द्र केवल कागजों में ही बने हुए हैं। वास्तव में मंत्रालय द्वारा अभी तक इस योजना की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए व्यवहार्य विधियां तैयार की जानी हैं।

समिति आई सी डी एस योजनाओं की कार्यपद्धति में सुधार हेतु अनेक संस्तुतियां दी हैं। उसने आई सी डी एस योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों इससे लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को की इनकी ओर आकर्षित करने के सुझाव का स्वागत किया है। यद्यपि योजना के निरीक्षण की अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। समिति ने निरीक्षण कार्य के लिए एक एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने की सिफारिश भी की है। इस योजना को जीवंत एवं व्यवहार्य बनाने बनाने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार इसके कार्यों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 20-12-93)

Book Post